

संग्रहालय अनुदान स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र :

घटक ख : राज्यों की राजधानियों में संग्रहालयों का विकास

परियोजना के ब्यौरे :

क्र.सं.	मद	ब्यौरे
1.	परियोजना के प्रभारी अधिकारी का दूरभाष सं. और ई-मेल सहित संग्रहालय/ संस्थान/ सोसायटी / ट्रस्ट का नाम और संपूर्ण डाक पता।	
2.	संग्रहालय की मौजूदा भूमि और भवन के ब्यौरे। कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें :- (क) भू-क्षेत्रफल (ख) भौगोलिक स्थान (ग) वीथियों की संख्या (घ) भवन का क्षेत्रफल	
3.	संग्रहालय हेतु उपलब्ध कला वस्तुओं के ब्यौरे : कृपया निम्नलिखित ब्यौरे देते हुए सूची संलग्न करें : (क) कलावस्तुओं की संख्या और ब्यौरे (मूर्तियां, पेंटिंग्स, सिक्के, पांडुलिपियां आदि) (ख) प्राप्ति का स्रोत (प्रत्येक मामले में)	
4.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सहित भवन योजनाओं के ब्यौरे। यदि संग्रहालय के पास मौजूद भवन है, तो कृपया तत्संबंधी ब्यौरे दें :- - कुल निर्मित क्षेत्र - वीथियों की संख्या एवं उनके नाम	
5.	प्रार्थित वित्तीय सहायता हेतु घटकों के ब्यौरे - (स्कीम में यथा प्रदान किए गए स्वीकार्य घटक)	
6.	परियोजना की कुल लागत	
7.	परियोजना पूरी होने की समयावधि	
8.	संग्रहालय की प्रवेश शुल्क की दरें, यदि कोई है और आगंतुकों के लिए संग्रहालय खुलने का समय	
9.	विगत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष संग्रहालय में आए आगंतुकों की संख्या	

10.	नियोजित कार्मिकों के ब्यौरे	
11.	विगत 3 वर्ष और वर्तमान व वर्ष के दौरान मद-वार वार्षिक बजट और व्यय	
12.	किसी भी पूर्व अवसर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिये गए अनुदान के ब्यौरे	
13.	प्रस्ताव के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची **	

संगठन की मुहर के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

-\* निर्मित अथवा नवीनीकरण किए जाने वाले भवन का कुल क्षेत्र / कृपया भवन संबंधी योजना एवं रेखा-चित्र (ड्राईंग) संलग्न करें।

\*\* कृपया संस्कृति मंत्रालय से संगठन द्वारा प्राप्त किए गए किसी भी पूर्ववर्ती अनुदान संबंधी स्कीम-वार ब्यौरे दें।

## परियोजना प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली दस्तावेजों की सूची

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किया जाना अपेक्षित है जिसके न होने पर अनुदान के लिए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा :-

- (i) प्रत्येक मद के संबंध में विस्तृत प्राक्कलनों और रेखाचित्रों वाली एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। ये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और प्राक्कलन संबंधित क्षेत्र की किसी प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा तैयार की जानी चाहिए और प्राक्कलन का सरकार/ सीपीडब्ल्यूडी/ पीडब्ल्यूडी इंजीनियर द्वारा अधिप्रमाणन किया जाना चाहिए। परियोजना प्रस्ताव में संबंधित संग्रहालय की मौजूदा दर्शक रूप-रेखा तथा परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात् ऐसी रूप-रेखा में अनुमानित परिवर्तनों का भी उल्लेख होना चाहिए। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ संग्रहालय की कलावस्तुओं और संग्रहों के छायाचित्र भी संलग्न किया जाने चाहिए।
- (ii) नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट/कार्यकलाप रिपोर्ट।
- (iii) लोक निर्माण विभाग से अनुमोदित योजना तथा प्राक्कलन।
- (iv) परियोजना के वित्तपोषण के अन्य स्रोतों के ब्यौरे और संग्रहालय हेतु भावी स्थिरता योजना।
- (v) नियम 209(1) सामान्य वित्तीय नियम 2005 के अनुसार प्रमाण-पत्र (संलग्न प्रपत्र में)।
- (vi) बैंक में सीधे अनुदान भेजने का प्राधिकार-पत्र (संलग्न प्रपत्र में)।
- (vii) संस्कृति मंत्रालय के केन्द्रीय योजना जांच स्कीम के अंतर्गत एजेंसी का पंजीकरण (निर्धारित प्रपत्र में)।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जी एफ आर) 2005 के नियम 209 (1)  
के अनुसार प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि .....  
.....(संगठन का नाम) ने इस प्रयोजनार्थ या कार्यकलाप हेतु भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से अनुदान प्राप्त नहीं किया है या उसके लिए आवेदन नहीं किया है।

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

रबड़ की मोहर .....

स्थान :

तिथि :

## प्राधिकार-पत्र

(मैं/हम .....  
.....) (संगठन/सोसायटी/गैर सरकारी संगठन का नाम) ..... मंत्रालय द्वारा मुझे/हमें प्रदत्त सहायता अनुदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे हमारे बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं। इसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

### भुगतान प्राप्तकर्ता का ब्यौरा

1. अनुदानप्राप्तकर्ता का नाम, बैंक खाते में नाम के अनुसार .....
2. पता .....
3. जिला .....
4. पिन कोड .....
5. राज्य .....
6. टेलीफोन नम्बर एस टी डी कोड सहित .....
7. फ़ैक्स नम्बर .....
8. ई-मेल पता (यदि कोई हो) .....

### बैंक ब्यौरा

1. बैंक का नाम .....
2. बैंक शाखा (पूरा पता व टेलीफोन नं.) .....
3. बैंक खाता संख्या .....
4. खाते की किस्म .....
5. उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक अन्तरण का तरीका (आर टी जी एस/एन आई एफ डी/कोई अन्य) .....
6. आई एफ एस सी कोड .....
7. एम आई सी आर कोड .....

हस्ताक्षर (नाम) .....  
संगठन का नाम .....  
पंजीकरण संख्या .....  
प्राधिकारी एवं पंजीकरण का स्थान .....  
पंजीकरण की तारीख .....

मैंने खाता संख्या का सत्यापन किया है

प्रबंधक

(बैंक शाखा जहां खाता है)

(मोहर)

भारत सरकार  
संस्कृति मंत्रालय

वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली के अधीन एजेंसी के पंजीकरण हेतु प्रपत्र

1.	पंजीकरण का प्रारूप :	(केन्द्र सरकार/ केन्द्र सरकार पीएसयू/ राज्य सरकार संस्थान/ राज्य सरकार पीएसयू/ पंजीकृत सोसाइटी/ गैर-सरकारी संगठन/ न्यास आदि)  (जो लागू नहीं है कृपया काट दें)
2.	एजेंसी का नाम :	
3.	अधिनियम / पंजीकरण संख्या :	
4.	पंजीकरण की तिथि (दिनांक / महीना/ वर्ष):	
5.	पंजीयन प्राधिकारी :	
6.	पंजीयन राज्य :	
7.	टीआईएन (टिन) संख्या :	
8.	टीएएन (टैन) संख्या :	
9.	ब्लॉक नं./ भवन/ ग्राम/ परिसर का नाम :	
10.	सड़क / गली/ डाक कार्यालय :	
11.	क्षेत्र / इलाका :	
12.	शहर :	
13.	राज्य :	
14.	जिला :	
15.	पिन कोड :	
16.	संपर्क व्यक्ति :	
17.	दूरभाष संख्या :	

18.	वैकल्पिक दूरभाष / मोबाइल संख्या :	
19.	ई-मेल :	
20.	युनीक एजेंसी कोड :	(मंत्रालय द्वारा भरा जाना है)
21.	बैंक का नाम :	
22.	शाखा :	
23.	खाता संख्या :	
24.	बैंक खाते के अनुसार एजेंसी का नाम :	

(टिप्पणी : क्रम संख्या 21 से 24 तक की सूचना, बैंक से प्रदत्त प्राधिकार पत्र की सूचना के समान होगी)

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थान :

दिनांक :



